न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी गडरारोड़

(पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार–I)

अन्तर्गत धारा 251ए RT Act. — राजस्व आवेदन संख्या 73/2025

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. गुणेशाराम पुत्र शम्भूराम 2. किशनाराम पुत्र हरजीराम 3. पोकरराम पुत्र हरजीराम 4. हरदानराम पुत्र हरजीराम 5. भंवराराम पुत्र भगाराम 6. मोटाराम पुत्र शेम्भूराम, जाति–जाट, नि0 हाथीतला तह0 व जिला बाडमेर हाल नि0 आसाडी, तह0 गडरारोड़ जिला बाडमेर 7. किस्तुराराम पुत्र धनाराम 8. खेमाराम पुत्र धनाराम, जाति–जाट, नि0 बालेवा, तह0 गडरारोड़ जिला बाडमेर		1. शंकरदीन पुत्र जिम्मा खान, जाति–मुसलमान, नि0 आसाडी तह0 गडरारोड़ 2. अभय सिंह पुत्र वसुसिंह 3. गोविन्दसिंह पुत्र वसुसिंह 4. पुरखसिंह पुत्र वसुसिंह 5. सुखसिंह पुत्र वसुसिंह 6. देमी पत्नी वसुसिंह, जाति–वजीर, नि0 झिनझिनियाली, तह0 फतेहगढ़ जिला जैसलमेर 7. जगतसिंह पुत्र श्यामसिंह 8. जसवन्तसिंह पुत्र श्यामसिंह 9. देवेन्द्रसिंह पुत्र श्यामसिंह 10. कमल कंवर पत्नी श्यामसिंह 11. स्वरूपसिंह पुत्र रिडमलसिंह, जाति–राजपुत, नि0 झिनझिनियाली, तह0 फतेहगढ़ जिला जैसलमेर 12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गडरारोड़

आदेश

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त कथन यह है कि प्रार्थीगण की, आपके उपखण्ड़ के क्षेत्र में खातेदारी कब्जे काश्त वाली खातेदारी जोत में जाने हेतु अन्य खातेदार विप्रार्थीगण संख्या 1 से 11 के काश्तकारों की जोत में से होकर नया मार्ग खुलवाना चाहते है। ग्राम–आसाडी, पटवार मण्डल–आसाडी तह0 गडरारोड़ के खेत खसरा नम्बर 740/307 रकबा 0.0890 हैक्टेयर, किस्म गै.मु. रास्ता (प्रार्थी संख्या 1 का), खसरा नम्बर 739/307 रकबा 0.1862 हैक्टेयर, किस्म गै.मु. रास्ता (प्रार्थीगण संख्या 2 से 4), खसरा नम्बर 737/307 रकबा 0.2104 हैक्टेयर, किस्म गै.मु. रास्ता (प्रार्थी संख्या 3 से 6), खसरा नम्बर 733/305 रकबा 0.1781 हैक्टैयर, किस्म गै.मु. रास्ता (प्रार्थी संख्या 7 से 8) तथा खसरा नम्बर 736/306 रकबा 0.0890 हैक्टेयर, किस्म बा.चा. (विप्रार्थी संख्या 1), खसरा नम्बर 734/305 रकबा 0.1862 हैक्टैयर, किस्म गै.मु. रास्ता (विप्रार्थी संख्या 2 से 6), खसरा नम्बर 301 रकबा 8.9193 हैक्टेयर, किस्म बा.चा. (विप्रार्थी संख्या 7 से 11) ग्राम आसाडी के नक्शा मे प्रस्तावित बरंग लाल वाला भू–भाग नये रास्ता खुलवाने हेतु मांग है। यह भूमि विप्रार्थीगण की खातेदारी की है। उक्त भूमि में से प्रार्थीगण को रास्ते हेतु आवश्यक भूमि तहसीलदार गडरारोड़ द्वारा बाद पैमाईश वर्णितानुसार रकबे अनुसार चाही गई हैं तथा उक्त रास्ते की भूमि ग्राम गिराब से ग्राम झिनझिनियाली जाने वाली पक्की डामर सडक से खेत खसरा नम्बर 301 रकबा 8.9193 हैक्टैयर (विप्रार्थी संख्या 7 से 11) भूमि को छोडकर आगे स्थित खसरा नम्बर 733/305, 734/305, 736/306, 737/307, 739/307, 740/307 रकबा क्रमशः 0.1781, 0.1862, 0.0890, 0.2104, 0.1862, 0.0890 हैक्टेयर भूमि मे खातेदारान की खातेदारी भूमि मे चालायमान रास्ता वर्तमान में मौके पर चल रहा हैं जिसका राजस्व रेकर्ड में भी पृथक से किस्म गै.मु. रास्ते की भूमि के रूप में अंकन किया गया हैं लेकिन उक्त रास्ते की भूमि में खेत खसरा नम्बर 736/306 रकबा 0.0890 हैक्टेयर की भूमि का उपयोग तो रास्ते के रूप में किया जा रहा है लेकिन राजस्व रेकर्ड में उक्त भूमि की किस्म गै.मु. रास्ता नहीं होकर बा.चा. दर्ज है इसलिए प्रार्थीगण को ग्राम गिराब से ग्राम झिनझिनियाली जाने वाली पक्की डामर सड़क से जुडने के लिए उक्त रास्ता आवागमन हेतु चाहा गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar
Date: 2026.02.05 19:07:02 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण संख्या 1 से 12 को जरिये नोटिस रजिस्टर्ड डाक से प्राप्त हुऐ को 1 माह से ज्यादा का समय हो जाने के बावजूद विप्रार्थी संख्या 2 से 11 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अलम में लाई जाती है। विप्रार्थी संख्या 1 स्वंय के द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर बिना प्रतिफल के आपसी सहमती से रास्ता खुलवाने हेतु अपनी सहमति व्यक्त की है। तहसीलदार गडरारोड़ से प्राप्त मौका रिपोर्ट एवं प्रार्थीगण के आवेदन के अनुसार प्रस्तावित भूमि रास्ता हेतु घोषित किये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष को सुना गया।

प्रकरण में तहसीलदार गडरारोड़ के कोर्ट/2025/58 दिनांक 13.01.2026 को मौका रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। तहसीलदार गडरारोड़ द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट अनुसार मौजा आसाडी के खसरा नम्बर 732/305 रकबा 14.3178 हैक्टेयर किस्म बा.चा., खसरा नम्बर 639/307 रकबा 15.0300 हैक्टेयर किस्म बा.चा., खसरा नम्बर 639/307 रकबा 15.0300 हैक्टेयर किस्म बा.चा., खसरा नम्बर 738/307 रकबा 9.9633 हैक्टेयर किस्म बा.चा., खसरा नम्बर 637/307 रकबा 10.0605 हैक्टेयर किस्म बा.चा. मे रास्ते हेतु बिन्दुवार जांच रिपोर्ट निम्नानुसार है :– प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी खेत से सडक (गिराब–झिनझियाली डामर सडक) तक पहुचने के लिए विप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 301, 735/306, 636/305 की खातेदारी भूमि से चाहा गया रास्ता निकटतम दूरी का है। संलग्न नक्शे अनुसार ए से बी तक खसरा नम्बर 740/307 रकबा 0.0890 हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज है। इसी प्रकार सी – डी– ई तक खसरा नम्बर 739/307 रकबा 0.1862 हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज है। इसी प्रकार एफ–जी–एच तक खसरा नम्बर 737/307 रकबा 0.2104 हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज है। इसी प्रकार एच–आई तक खसरा नम्बर 736/306 रकबा 0.0890 हैक्टैयर किस्म बा. चा. है। जो कि रास्ते हेतु काम मे आ रही है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 734/305 आई–आई रकबा 0.1862 हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज है। इसी प्रकार जे – के तक खसरा नम्बर 733/305 रकबा 0.1781 हैक्टैयर किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज है। उक्त सभी रास्तो को सडक (गिराब–झिनझियाली डामर सडक) से जोडने हेतु प्रार्थीगण द्वारा के – एल तक खसरा नम्बर 301 मे रास्ता चाहा गया है। उक्त रास्ता सडक तक सुगमता एवं निकटतम दुरी को देखते हुए यही एकमात्र विकल्प है। उक्त रास्ते हेतु ग्राम आसाडी के खसरा नम्बर 301 कुल रकबा 8.9193 हैक्टैयर में रास्ते की लम्बाई 226 मीटर तथा चौडाई 6 मीटर कुल रकबा 1356 वर्गमीटर अर्थात 0.1356 हैक्टैयर भूमि प्रस्तावित की गई है।

हमने उभय पक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई एवं पत्रावली व मौका रिपोर्ट का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थीगण ने विप्रार्थी संख्या 1 से 11 की खातेदारी भूमि मे से रास्ता की मांग की है। प्रार्थीगण के आवेदन को विप्रार्थी संख्या 1 ने स्वीकार करते हुऐ तहसीलदार गडरारोड़ द्वारा प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित रास्ता घोषित किये जाने बाबत् सहमति प्रदान की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar
Date: 2026.02.05 19:07:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गडरारोड (बाड़मेर)

तहसीलदार गडरारोड़ द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार चाहा गया प्रस्तावित रास्ता मौके पर चालू है। किन्तु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में नवीन रास्ता खुलवाने हेतु मांग की जा सकती है। उक्त प्रस्तावित रास्ता निकटतम दूरी पर है। उक्त रास्ते की मांग आत्यान्तिक आवश्यकता की मांग होने से उक्त प्रस्तावित रास्ता तहसीलदार गडरारोड़ द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट अनुसार विप्रार्थीगण की खातेदारी मे से प्रस्तावित किया है। प्रार्थीगण को रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता होना साबित है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के समस्त आवश्यक अर्हताओं को पूर्ण करता है। चूकि विप्रार्थी संख्या 1 बिना प्रतिफल के रास्ता देने हेतु सहमत है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने मे कोई आपति प्रतीत नही होती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आसाडी, पटवार मण्डल–आसाडी तह0 गडरारोड़ में अवस्थित प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 740/307 रकबा 0.0890 हैक्टेयर, किस्म गै.मु. रास्ता (प्रार्थी संख्या 1 का), खसरा नम्बर 739/307 रकबा 0.1862 हैक्टेयर, किस्म गै.मु. रास्ता (प्रार्थीगण संख्या 2 से 4), खसरा नम्बर 737/307 रकबा 0.2104 हैक्टेयर, किस्म गै.मु. रास्ता (प्रार्थी संख्या 3 से 6), खसरा नम्बर 733/305 रकबा 0.1781 हैक्टैयर, किस्म गै.मु. रास्ता (प्रार्थी संख्या 7 से 8) मे आने जाने हेतु मौका फर्द मे वर्णित विप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 301, 735/306, 636/305 की खातेदारी भूमि से चाहा गया रास्ता निकटतम दूरी का है। संलग्न नक्शे अनुसार ए से बी तक खसरा नम्बर 740/307 रकबा 0.0890 हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज है। इसी प्रकार सी – डी– ई तक खसरा नम्बर 739/307 रकबा 0.1862 हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज है। इसी प्रकार एफ–जी–एच तक खसरा नम्बर 737/307 रकबा 0.2104 हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज है। इसी प्रकार एच–आई तक खसरा नम्बर 736/306 रकबा 0.0890 हैक्टैयर किस्म बा.चा. है। जो कि रास्ते हेतु काम मे आ रही है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 734/305 आई–आई रकबा 0.1862 हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज है। इसी प्रकार जे – के तक खसरा नम्बर 733/305 रकबा 0.1781 हैक्टैयर किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज है। उक्त सभी रास्तो को सडक (गिराब–झिनझियाली डामर सडक) से जुडा हुआ है उक्त खातेदारी भूमि के प्रभावित रकबे अनुसार दुगुनी डी.एल.सी. दर से गणना की जाकर तहसीलदार गडरारोड़ देय क्षतिपूर्ति राशि प्रार्थीगण द्वारा निर्धारित राशि जमा करवाये जाने पर तहसीलदार गडरारोड़ को रास्ते की भूमि का सरकारी खाते में गैरमुमकिन रास्ते के रूप में अमलदरामद करने एवं नक्शा ट्रेस में दुरस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है। उक्त रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रहेगा। प्रार्थीगण द्वारा क्षतिपूर्ति राशि जमा करवाने पर तहसीलदार गडरारोड़ विप्रार्थी संख्या 2 से 11 को प्रभावित भूमि की क्षतिपूर्ति राशि का भूगतान करें तथा सरकारी भूमि की क्षतिपूर्ति राशि तहसीलदार गडरारोड़ के खाते मे जमा कराने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार गडरारोड़ द्वारा जरिए पत्र कंमाक/कोर्ट/2026/58 दिनांक 13.01.2026 को प्रेषित फर्द मौका नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी
गडरारोड़

निर्णय आज दिनांक 13.01.2026 .को स[illegible] सुनाया गया।
पत्रावली फैसल सुम[illegible] हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar
Date: 2026.02.05 19:07:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गडरारोड़